Witness No **14** for **अभियोजन साक्षी** Deposition taken

the **06.08.2019** day of Witness's apparent age **45 वर्ष**

States on affirmation **शपथ पूर्वक** my name is **जगदम्बा तिवारी**

son of **श्री राजेन्द्र तिवारी** occupation **सहायक उपनिरीक्षक**

address **थाना विधानसभा, रायपुर**

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री मनोज वर्मा अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. मै चौकी सिलयारी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर दिनांक 20.09.2016 को पदस्थ था।

02. थाना धरसीवां के अपराध क0–340/16, अंतर्गत धारा 498ए/34 भा0दं0सं0 की केस डायरी तत्कालीन चौकी प्रभारी के स्थानांतरण होने से अग्रिम विवेचना हेतु मुझे प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान मैने दिनांक 14.11.2016 को प्रार्थिया पूनम उर्फ पूर्वी को नोटिस दिया था कि बताये गये गर्भपात के संबंध में कोई टेबलेट है तो पेश करें तब दिनांक 15.11.2016 को प्रार्थिया पूनम उर्फ पूर्वी पैकरा द्वारा पेश करने पर एक गुलाबी रंग का दवाई का रेपर काम्बीपेक ऑफ माईफ्रीस्टोन एण्ड मोइसोप्रोस्टोन टेबलेट, टर्मीपील कीट एवं सिल्वर रंग का टर्मीपील कीट का रेपर जिसमें पांच दवा की गोली खाली थी को गवाहों के समक्ष जप्त किया था। जप्ती पत्रक प्रपी–4 है, जिसमें ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस प्रपी–9 है, जिसमें अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

03. उसी दिनांक को मैने उक्त जप्त दवाईयों की क्युरी के लिए महिला चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरसीवां को ज्ञापन दिया था। जो प्रपी–8 है, जिसमें ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान मैने गवाह हरीप्रेम पैकरा, देवव्रत नायक, डमरूलाल पैकरा का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था, मैने अपनी ओर से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था।

04. महिला थाना रायपुर द्वारा दर्ज शून्य नंबरी अपराध प्रपी–3 थाना धरसीवां को नंबरी हेतु प्राप्त होने पर तत्समय पदस्थ स0उ0निरी0 लल्ला सिंह राजपूत ने दिनांक 20.09.2016 को अप0क0–340/16 पंजीबद्ध किया था। जो प्रपी–10 है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ

में क्रमशः अ से अ भाग पर सहायक उपनिरीक्षक लल्ला सिंह राजपूत का हस्ताक्षर है, जिन्हें मै साथ काम करने के कारण पहचानता हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री फैसल रिजवी अधि. वास्ते आरोपी रोशन, पूनम, शैलेन्द्री</u>

05. यह कहना सहीं है कि प्रार्थिया के लिखित शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। प्रपी–10 दिनांक 20.09.2016 को नंबरी किया गया है। डायरी आंशिक विवेचना हेतु मुझे दिनांक 14.11.2016 को प्राप्त हुई थी। सहीं है कि मैने विवेचना के दौरान प्रपी–10 प्रथम सूचना पत्र तथा प्रार्थिया के कथन को पढ़ा था। यह कहना सहीं है कि प्रपी–10 एवं प्रार्थिया के कथन में प्रार्थिया द्वारा दवाई का नाम नहीं बताया गया था। यह कहना सहीं है कि प्रार्थिया को दवाई पेश करने हेतु दी गई सूचना दिनांक 14. 11.2016 का है। यह कहना सहीं है कि प्रपी–9 की दी गई सूचना में ही प्रार्थिया ने दिनांक 14.11.2016 को दवाई का नाम लिखकर दी थी।

06. यह कहना सहीं है कि प्रार्थिया के पिता पुलिस विभाग में कार्यरत है। यह कहना गलत है कि आरोपीगण के विरूद्ध झुठे साक्ष्य निर्मित करने के उद्देश्य से प्रार्थिया एवं उसके पिता से मिलकर प्रपी–9 का दस्तावेज तैयार करवाया था। यह कहना सहीं है कि प्रार्थिया अपनी लिखित शिकायत में बताई थी कि शादी के दो माह बाद गर्भ गिराने के लिए दवाई खिलाये थे। यह कहना सहीं है कि प्रार्थिया का विवाह दिनांक 16. 06.2014 को हुई थी। यह कहना सहीं है कि प्रपी–4 में जप्तशुदा रेपर के अनुसार तिथि मार्च 2015 एवं फरवरी 2017 उल्लेखित है। साक्षी से पुछा गया कि उक्त तिथि निर्माण व एक्सपाईरी की तिथि है तो कहता है कि बिना रेपर देखे आज नहीं बता सकता।

टीप :– बचाव पक्ष द्वारा जप्तशुदा रेपर मालखाना से मंगाये जाने का निवेदन किया गया। जप्तशुदा वस्तु मालखाने से प्राप्त होते तक इसी स्तर पर परीक्षण रोका गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर .....**सही/–**.....

टीप :– चायकाल पश्चात् जप्तशुदा वस्तु सीलबंद स्थिति में मालखाने से प्राप्त होने पर पुनः शपथ दिलाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया। उक्त संपत्ति का सील उभयपक्ष के समक्ष खोला गया और दवाई की रेपर को क्रमशः आर्टिकल एफ और जी अंकित किया गया।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री फैसल रिजवी अधि. वास्ते आरोपी रोशन, पूनम, शैलेन्द्री</u>

07. यह कहना सहीं है कि आर्टिकल एफ और जी में दवा का निर्माण तिथि मार्च 2015 तथा एक्सपाईरी तिथि फरवरी 2017 अंकित है। मै नहीं बता सकता कि आर्टिकल जी और एफ वर्ष 2014 में अस्तित्व में नहीं होगा। यह कहना गलत है कि प्रार्थिया और उसके पिता से मिलकर आरोपीगण के विरूद्ध झुठे साक्ष्य निर्मित करने के उद्देश्य से डॉक्टर की सलाह लेकर आर्टिकल एफ और जी को बाजार से खरीदकर जप्ती पत्र का निर्माण कर अभियोग पत्र में संलग्न किया है। मैने विवेचना के दौरान उपरोक्त दवा की डीस्ट्रब्यूटर से यह जानने का प्रयास नहीं किया कि उक्त बैच नंबर की दवा किस दुकानदार को बेचने हेतु दी थी और न ही उक्त दुकानदार का बयान लेने का प्रयास किया।

08. यह कहना सहीं है कि मैने प्रपी–9 में प्रार्थिया से गर्भपात की गोली के संबंध में उससे जानकारी चाही थी परन्तु प्रपी–9 में प्रार्थिया से यह जानकारी नहीं चाही थी कि वह कभी गर्भवती थी इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत करें। यह कहना गलत है कि मुझे इस बात की जानकारी थी कि प्रार्थिया पूर्व में गर्भवती नहीं हुई थी, इसलिए मैने प्रपी–9 या अन्य किसी पत्र के माध्यम से प्रार्थिया से उसके गर्भधारण के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु नहीं कहा था।

09. यह कहना सहीं है कि प्रकरण में संलग्न हरिप्रेम पैकरा, देवव्रत नायक, एवं डमरूलाल पैकरा के कथन नवंबर 2016 में लिखा जाना दर्शित हो रहे है। यह कहना गलत है कि उक्त साक्षियों ने मुझे कोई कथन नहीं दिया था, मैने उनके कथन अपने मन से लेखबद्ध कर प्रकरण में संलग्न किया है। यह कहना गलत है कि प्रार्थिया के पिता पुलिस में होने के कारण मेरा मित्र है। यह कहना गलत है कि उसी कारण आरोपीगण के विरूद्ध झुठे साक्ष्य निर्माण कर प्रकरण को गंभीर बनाने का प्रयास किया है और झुठा प्रकरण पेश किया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विकास गुप्ता अधिवक्ता वास्ते आरोपी चिन्ताराम</u>

10. यह कहना सहीं है कि मैने प्रकरण में आरोपी चिंताराम के विरूद्ध चालान पेश किया है। यह कहना गलत है कि आरोपी चिंताराम के विरूद्ध प्रकरण में प्रथम दृष्टया

कोई साक्ष्य और सबूत नहीं होने पर भी उसे फंसाने के उद्देश्य से उनके विरूद्ध प्रकरण पेश किया है। यह कहना गलत है कि मैने प्रार्थिया एवं उसके पिता के प्रभाव में आकर आरोपी चिंताराम को फंसाने के उद्देश्य से झुठा प्रकरण पेश किया है। यह कहना गलत है कि मैने ईमानदारी पूर्वक विवेचना कार्य नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मैने विवेचना के दौरान दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

टीप :– साक्ष्य उपरांत उक्त संपत्ति को उभयपक्ष के समक्ष पुनः सीलबंद कर मालखाना प्रेषित किया गया।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर .....**सही/–**.....